(18)

संख्या बी–3-3790/दस–2001–4(1)86-अनु०नि०

प्रेषक,

डा० बी० एम० जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक 18 अक्टूबर, 2001

विषय :– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या संख्या–बी–3-3065/दस–2000–4(1)86–अनु०नि०, दिनांक 30 अगस्त, 2000 का कृपया संदर्भ लें जिसके द्वारा नियमावली की संशोधित प्रति प्रेषित की गई थी।

2–उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर–7 की पंक्ति, "किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रुपये 20,000/– तथा अधिकतम राशि रूपये 75,000/– होगी" के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायः–

"किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 25,000/– तथा अधिकतम राशि 1,00,000/– रूपये होगी।"

3–शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेगी। यह आदेश तात्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,
बी० एम जोशी,
सचिव।

संख्या बी–3-3790(1)/दस–2001–4(1)86-अनु०नि० तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, (आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4–विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।
5–राज्यपाल सचिवालय।
6–निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिवानन्द गिरि,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 154 सा० वित्त–29-3-2009–(2403)–2,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।